वाद - 132/2021 - [illegible]

GCMSNO. 2021/791

16/11/2023 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 6/4/2023 को पेश हो।

6/4/2023 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तरफ से हाजिर हुए। वकील वादी प्रस्तुत करे। अन्यथा विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली दिनांक 07.06.2023 को पेश हो।

7/06/23 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 11/8/23 को पेश हो।

1/8/23 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 28/11/23 को पेश हो।

28.11.23 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 13/02/24 को पेश हो।

13/2/2024 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तरफ से हाजिर हुए। वकील वादी प्रस्तुत करे। पत्रावली अन्यथा कार्यवाही Order 9 Rule 5 CPC के अन्तर्गत किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 21.2.2024 को पेश हो।

21.2.2024 पत्रावली पेश हुयी। वाद पत्र द्वारा अग्रिम कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 24/4/2024 को पेश हो।

24/04/24 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 8/07/24 को पेश हो।

08/07/2024 वकील वादी [illegible] अतः वाद वादी अदम पैरवी के कारण खारिज में जाता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रेकर्ड दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:13:44 IST
Reason: SelfAttested